## उत्तर रेलवे मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय, स्टेट एन्ट्री रोड, नई दिल्ली दूरमाष 22527, 011–23344127



## Northern Railway

Divisional Railway Manager's Office State Entry Road, New Delhi

Email: srdeersodli@gmail.com

No. 230-Elect/RSO/Safety/24

Dated: 12.11.2024

समस्त मुख्य लोको निरीक्षक दिल्ली मण्डल

विषयः संरक्षित रेल संचालन के सम्बन्ध में मण्डल रेल प्रबन्धक / दिल्ली के निर्देश।

दिनांक 11.11.2024 को मण्डल रेल प्रबन्धक, दिल्ली द्वारा मीटिंग के दौरान संरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित करने हेतु निम्न निर्देश जारी किये:—

- 1. एन.एम.जी. / वी.पी. की जी.डी.आर. बनाते समय स्कू कपलिंग के सही तरीके से टाइट होने की तसल्ली करें। अगर किसी गाड़ी की स्कू कपलिंग लूज मिलती है तो उसको सही तरीके से टाइट करायेंगे।
- 2. शंटिंग करते समय सम्बन्धित नियमों का पालन करें, अत्यधिक सतर्कता बरतें। कभी भी शार्ट कट तरीके न अपनायें।
- 3. किसी भी सिगनल को एक पीली अवस्था में पास करने के बाद सहायक लोको पायलट अपना हाथ आपातकालीन ब्रेक आर.एस. वाल्व के हेंडल पर रखें तथा लाल सिगनल पर पहुँचते समय यदि लोको पायलट गाड़ी को आवश्यकतानुसार नियंत्रित नहीं करते तो आर.एस. वाल्व से आपातकालीन ब्रेक लगा कर सिगनल से पहले गाड़ी रोकें।
- 4. स्टेबल गाड़ी को स्टार्ट करने हेतु आर.एस.ओ. संरक्षा परिपत्र 2024 दिनांक 08.11.2024 द्वारा जारी जे.पी.ओ. का पालन करने हेतु सभी लोको पायलटों एवं सहायक लोको पायलटों की गहनता से काउन्सिलिंग करें।
- 5. टी.टी.एम. मशीन ऑपरेटर के लर्निंग रोड का ज्ञान, जे.पी.ओ. सं. 219-W/61/TMC/Route Learning dated 22.09.2020 के अनुसार सम्बन्धित खण्ड के सिगनलों एवं यार्ड की जानकारी लेने के बाद ही सत्यापित करें।

सभी लोको निरीक्षक उपरोक्त सम्बन्ध में समस्त रनिंग कर्मचारियों की काउन्सिलिंग करें तथा इसके अनुपालन की जॉच हेतु एम्बुश चेक करें । स्टाफ काउन्सिलिंग / एम्बुश चेक की रिपोर्ट दिनांक 20.11.2024 तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

वरि. मण्डल विद्युत अभियंता/परि नई दिल्ली

## प्रतिलिपिः

- 1. मण्डल रेल प्रबन्धक, दिल्ली सूचनार्थ ।
- 2. अपर मण्डल रेल प्रबन्धक / परि. दिल्ली सूचनार्थ।
- 3. मण्डल विद्युत अभियता / परि. नई दिल्ली सूचनार्थ ।
- 4. सहायक मण्डल विद्युत अभियंता / परि. नई दिल्ली सूचनार्थ ।